वार्षिक रिपोर्ट

सत्र 2016–2017

शिवमंगल शिक्षण समिति

(कार्यक्षेत्र –सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश)

Website - www.shivmangalwel.org

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED ORGANISATION

Registered under Societies Registration Act - 1973(44) Redgistration No-1370 Date-23 May 2003,
CGState Women and Child Development department Raipur Reg –68-B/3436/wcd/sv/2010 Dt.-10 Dec 2010
IT Act 1961- 12a DATE-09-09-2008 & 80G(V)(I) DATE-17-10-2008,
F.C.R.A. Under Rssistration act 1976,REDG.DATE-31-07-2009
NGODARPAN-NITI AYOG,GOVT.OF INDIA,UNIQUE AGENCY CODE-CG&72009/0001541-DATE-17.JULY.2009

–:पंजीकृत कार्यालयः–
डी/3, शिवमंगल भवन,
सोनगंगा कालोनी, पोस्ट–एस.ई.सी.एल.
सीपत रोड़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

–:प्रशासनिक कार्यालयः–
मौर्या चेम्बर, मौर्या फेब्रिकेशन के ऊपर,
साइंस कालेज रोड़, चांटीडीह सब्जी मंडी के पास,
चांटीडीह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

मोबाईल नम्बर–09424142742, 07752.–258052
ई–मेल–smssociety@gmail.com, smss.jmourya@gmail.com

अध्यक्ष की कलम से.....

1. मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **शिव मंगल शिक्षण समिति,** द्धारा 2003 से पंजीकृत वर्ष से ही लगातार संचालित हैं और प्रति वर्ष की तरह इस **वर्ष 2016–17** मे भी समिति ने अपने निर्धारित उद्दश्यों व लक्ष्यों के अनुसार समाज के उत्थान एवं मानव सेवा एवं समाज कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजन सफलता पूर्वक संचालित किया गया। बिलासपुर जिला सहित छत्तीसगढ राज्य के कई जिलो मे एक अलग छवि बनाते हुए पटल पर प्रस्तुत हुयी हैं। समिति द्धारा **वर्ष 2016–17 (1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2016 तक) (अ.) स्थायी कार्यक्रमो मे – (1) मानव तस्करी सहित व्यवसायिक यौन के व्यापार के शोषण के पीडितो के लिये बचाव, जागरूकता प्रदर्शनी, प्रशिक्षण और पीडितो की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास के लिये उज्जवला गृह (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह) का लगातार संचालन, (ब.) समय बध्द कार्यक्रमो मे – (1) "स्वच्छ भारत अभियान" का प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (2) युवाओ को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, (3) "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (4) "ग्रामीण महिला उपभोक्ता जागरूकता" का प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (5) संस्था मे कार्यरत "कार्यकर्ताओ को दस्तावेजीकरण रखरखाव प्रशिक्षण" कार्यक्रम, (6) "महिला सशक्तिकरण को बढावा देने" "महिलाओ के सामाजिक, आर्थिक एवं सशक्तिकरण" के लिये "समूह गठन," "समूह संचालन प्रशिक्षण" एवं "कौशल उन्नयन प्रशिक्षण" (7) "डिजिटल इण्डिया जागरूकता प्रचार प्रसार" कार्यक्रम, (8) "वुद्वजन सर्वेक्षण योजना" जागरूकता प्रचार प्रसार कार्यक्रम, (9) "शहरी शिल्पकारो के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं सशक्तिकरण" के लिये "समूह गठन," "समूह संचालन प्रशिक्षण" एवं "कौशल उन्नयन प्रशिक्षण" (10) "शासन की कल्याणकारी योजनाओ का प्रचार प्रसार"** का सफल संचालन किया गया है।

शिव मंगल शिक्षण समिति, डी/3, सोनगंगा कालोनी, बिलासपुर छ.ग. राज्य पंजीकरण अधिनियम **1973 (44)** के अंतर्गत पंजीकृत स्वंयसेवी सामाजिक संस्था हैं । संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य है। जो कि नगरीय गरीब एवं ग्रामीण समुदाय के विकास, आय सृजन के लिये कौशल प्रशिक्षण लैंगिक असामानता दूर करने, सामाजिक न्याय एव शान्ति और सौहाद्र के लिए जनसहभागिता को प्रेरित करने हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील हैं।

वर्तमान में **शिव मंगल शिक्षण समिति** जिला बिलासपुर एवं नवगठित जिला मुंगेली के ग्रामीण अंचलो में लाभ वंचित/उपेक्षित समुदाय हेतु विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य के महत्वपूर्ण शासकिय/सरकारी कार्यक्रमो जैसे पीडित महिलाओ की सुरक्षा, संरक्षण, मौलिक आवश्यकताओ की व्यवस्था, मानसिक उपचार, नशा मुक्ति, विधिक परामर्श एवं सहायता सहित जागरूकता कार्यक्रमों को केन्द्रित करते हुए जनसमुदाय को प्रशिक्षण, जागरूक एवं शिक्षित करने की दशा में कदम बढ़ा रही हैं।

अंत में, मैं उन सभी सलाहकारों, स्वंयसेवकों तथा समस्त शुभचिन्तक सदस्य के सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सभी सदस्यों का लगातार संस्था की मुहिम सामाजिक उत्थान के लिये सहयोग मिलता रहेगा।

Shivmangal Sikshan Samiti Regd. Add. D/3 Songanga Colony Regd. No. 1378/ 23 May 2003 Seepat Road, Bilaspur (C.G.)

President
Shiv Mangal Sikshan Samiti
D/3 Songanga Colony
Seepat Road, Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष

शिवमंगल शिक्षण समिति बिलासपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

2016–17

(1.) उज्जवला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह) का संचालन
(2.) उज्जवला, मानव तस्करी की रोकथाम के लिये बचाव, सुरक्षा, संरक्षण, जागरूकता कार्यक्रम का संचालन
(3.) वुद्वजन सर्वे एवं योजनाओ का प्रचार प्रसार
(4.) ग्रामीण उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम
(5.) महिला सशक्तिकरण के लिए समूह गठन एवं प्रशिक्षण
(6.) स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार प्रसार
(7.) शहरी शिल्पकारो के सशक्तिकरण के लिये समूह गठन,
(8.) डिजिटल इण्डिया का प्रचार प्रसार
(9.) बेटी बचाओ बेटी पढाओ जागरूकता कार्यक्रम
(10.) शासकिय योजनाओ का प्रचार प्रसार।
(11.) युवाओ को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्यक्ष

शिवमंगल शिक्षण समिति बिलासपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

2016–17

कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार :–

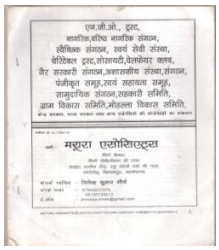

शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हर उम्र के पुरूषो,महिलाओ,बच्चो के लिए कोई न कोई योजना (एक से अधिक भी) निश्चित रूप से संचालित है, परंतु विडंबना यह है कि बरसों से संचालित ऐसी कई योजनाएँ हैं, जिनकी आम जनता को आज भी पूर्ण जानकारी नही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी चिंतनीय है। योजनाओ के प्रचार प्रसार के लिए संस्था द्वारा स्वयं के वित्तिय संसाधनो से इस वर्ष भी योजना मार्गदर्शिका का प्रकाशन एवं वितरण किया गया

भारत सरकार के नीति आयोग सहित समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों की **वेबसाइट** में दर्ज योजनाओं तथा छत्तीसगढ राज्य शासन की ओर से प्रकाशित "**राहें विकास की 2011**" पुस्तक को आधार बनाकर, योजनाओं की सूची तैयार की गई। इसी आधार पर योजनाओं की पुस्तिका तैयार की गई जिसका प्रचार प्रसार एवं निशुल्क वितरण किया गया।

छत्तीसगढ प्रदेश के सभी मंत्रीगण,विधायक गण, सांसद और जनप्रतिनिधियो तक इस पुस्तिका के माध्यम यह प्रयास किया गया कि शासन की कल्याण कारी योजनाए की पहुंच धरातल तक हो सके बनाने संदेश दिया

छत्तीसगढ प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, स्थानीय निकाय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत के प्रमुख अधिकारी वर्ग एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियो को योजना मार्गदर्शिका निःषुल्क डाक से वितरीत कराया गया।

पंजीकृत संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ जिला प्रशासन एव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कर्मचारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों, स्वसहायता समूहों को पुस्तिका निःशुल्क डाक से वितरण कराया गया।

अन्य प्रदेशो एवं क्षेत्रों में सेवा भावी संस्थाओ की मांग के अनुसार मध्यप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आदि क्षेत्रों में भी निःशुल्क वितरण किया गया साथ ही साथ संस्था प्रशासनिक कार्यालय में योजना की जानकारी एवं पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

उज्जवला सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह

(1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

प्रगति प्रतिवेदन

छ.ग. राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के सहयोग से एवं कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर की अनुसंशा एवं भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली की गाईड लाईन के अनुसार संस्था द्वारा बिलासपुर मे उज्जवला सुरक्षात्मक पुनर्वास गृह का संचालन 2016–17 मे भी जारी रखा गया।

संस्था द्वारा राजकिशोर नगर बिलासपुर मे उज्जवला (सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास) गृह का संचालन जारी रहा। परियोजना **1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017** तक संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ताओ द्वारा बिलासपुर नगर मे यौन व्यवसाय के चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वसहायता समूह के सदस्यो से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और हितग्राहियो /पीडितो के सम्बन्ध मे जानकारी ली गई। उन सभी को बिलासपुर मे उज्जवला गृह की स्थापना का लक्ष्य, उध्देश्य, हितग्राहियो /पीडितो को दी जाने वाली सूविधाएं, व्यक्तिगत एवं मौलिक सूविधाएं, भोजन, दिनचर्या, डाक्टर की सूविधा सहित परामर्श और मानसिक उपचार की सूविधा सहित आय सृजन की गतिविधियो के लिये प्रशिक्षण, परिवारिक, सामाजिक विवाद के निपटारा के लिये परामर्श सहित विधि सहायता की सूविधा की जानकारी दी गई।

संस्था की ओर से उज्जवला गृह के लिये नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा हितग्राहियो /पीडितो को दाखिला दिलाने आग्रह सहित नगरीय थाना मे थाना–सरकण्डा, थाना– सिविल लाईन, महिला थाना, थाना– तोरवा, थाना– तारबहार, सहित नगर सीमा के बाहरी थाना मे थाना– कोनी, थाना– चकरभाठा, थाना– सिरगिट्टी, थाना– सीपत, थाना– मस्तुरी,

थाना– हिर्री एवं थाना– तखतपुर, थाना– कोटा, थाना– रतनपुर, थाना– गौरेला पेण्ड्रा, सहित निकटतम जिला के थाना– मुंगेली, थाना– लोरमी, थाना– पामगढ, थाना–जांजगीर

चांपा के थाना प्रभारीयो से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं हितग्राहियो /पीडितो के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

उज्जवला गृह मे 1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 तक मे हितग्राहियो /पीडितो का नया दाखिला की संख्या 166 रहा है। क्रमांक – 269 से 434 तक रहा। 31 मार्च 2016 की स्थिति में 25 पीडित आश्रय गृह मे उपस्थित रहे है। पिछले वर्ष – 2015 – 2016 के शेष हितग्राही– 25 रह थे। इस वर्ष 2016–17 के प्रारंभ मे हितग्राहियो /पीडितो सहित कुल संख्या 191 तक पहुंची। 31 मार्च 2017 की स्थिति मे 11 हितग्राहियो /पीडितो की उपस्थिति रही शेष 18 हितग्राहियो /पीडितो को अन्य गृह मे दाखिल कराया गया, 156 हितग्राहियो /पीडितो को उनके परिजनो को सौपा गया 3 हितग्राहियो /पीडितो को अन्य प्रदेश मे उनके गृह जिला के पुनर्वास गृह मे महिला पुलिस बल के साथ भेजा गया।

टेबल–1– दाखिला एवं पुनर्वास का विवरण – 1 अप्रेल से 15 से 31 मार्च 2016

क्रमांक	माह	दाखिला संख्या	खारिज संख्या
0	31 मार्च 2016 को उपस्थिति संख्या	25	–
1	माह अप्रेल 2016	12	19
2	माह मई 2016	09	12
3	माह जून 2016	24	26
4	माह जुलाई 2016	06	07
5	माह अगस्त 2016	23	23
6	माह सितम्बर 2016	07	05
7	माह अक्टुम्बर 2016	12	15
8	माह नवम्बर 2016	14	08
9	माह दिसंम्बर 2016	20	24
10	माह जनवरी 2017	12	14
11	माह फरवरी 2017	12	12
12	माह मार्च 2017	14	15
	कुल योग	191	180
31 मार्च 2017 को गृह मे उपस्थिति संख्या			11

पुनर्वास गृह मे दाखिल सभी पीडितो को मौलिक सूविधा सहित भोजन, शिक्षा, विधिक सहायता और उनका स्वास्थ्य परीक्षण सहित परामर्श की सूविधा (व्यक्तिगत परामर्श, सामाजिक परामर्श, विधि सम्बन्धी परामर्श) की की सूविधा प्रदान की गई नाबालिग पीडितो को बाल कल्याण

समिति बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं वयस्क पीडितो को शिक्षा एवं आय सृजन की गतिविधियो के लिये उनकी रूचि अनुसार प्रशिक्षण की सूविधा प्रदान की गई।

टेबल–2 – दाखिला, पुनर्वास, परिवारिक एवं सामाजिक एकीकरण का विवरण –

1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 की स्थिति

1	**Number of Beneficiaries in the Home**					
	Age Specification	**0-5 yrs**	**06-14 yrs**	**15-18 yrs**	**above 18**	**Total**
	No. of Beneficiaries on the first day of the Year (A)	**02**	02	05	16	25
	New Admission During the Year (B)	**15**	13	17	121	166
	Referred by CWC	00	00	00	00	00
	Referred by NGOs/Staffs	00	00	01	35	36
	Referred by Police	14	12	22	83	131
	Referred by Childline/other helplines	00	00	00	08	08
	Referred by others	02	00	01	13	16
	Beneficiaries who have moved out from the institution during the quarter (C)	**17**	**16**	**23**	**124**	**180**
	Transferred to other homes	06	02	00	10	18
	Reunified with Family	10	14	22	110	156
	Transferred to the Home state	00	00	00	03	03
	Transferred to the home countries	00	00	00	00	00
	Self Employed/Placed with a job	00	00	00	00	00
	Runaway/Missing	00	00	00	00	00
	Death	01	00	01	01	03
	Others	00	00	00	00	00
	Grand Total (A+B) – C	**00**	**00**	**00**	**11**	**11**

टेबल–3 – उज्जवला गृह के पीडितो का वर्गीकरण /विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 के पीडितो की स्थिति/वर्गीकरण

2	Rescue Details	From Commercial Sexual Exploitation	From threat of getting trafficked	Others	Total
	Number of Beneficiaries rescued within the district	116	08	53	177
	Number of Beneficiaries rescued from the state	11	00	03	14
	Number of Beneficiaries rescued from other states	00	00	00	00
	Total	**127**	**08**	**56**	**191**

टेबल–4 – पीडितो का वर्गीकरण सहित विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 के पीडितो की छ.ग. और अन्य राज्य की स्थिति / वर्गीकरण

3	Residential status/Nationality of the beneficiaries	On the first day of quarter	New Admissions during the quarter	Total
	Number of Beneficiaries from the state	16	128	144
	Number of Beneficiaries from other states	09	38	47
	Number of Beneficiaries from other countries	00	00	00
	Total	**25**	**166**	**191**

टेबल–5 – पीडितो को दी गई सुविधाओ का विवरण एवं स्थिति –

1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 के पीडितो को दिये जाने वाली सुविधाए इस प्रकार से है

4	Services Offered to the Beneficiaries	Counselling	Education		Medical	Vocational training	Income Generation Activities	Total
			Non Formal	Formal				
	Number of Beneficiaries on the first day of the quarter	16	09	00	25	16	00	25
	Number of newly admitted Beneficiaries	121	45	00	166	121	00	166

	Total	**137**	**54**	00	191	137	00	191

टेबल–6 – पीडितो के मामाला की स्थिति –

1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 के पीडितो के प्रकरण एवं मामला इस प्रकार से है

5	**Legal Aid Information**	**No. of FIR**	**Number of Chargesheet**	**Number of ongoing trials**	**Number of persons Convicted**
	Number of cases at the beginning of the quarter	19	00	00	00
	Number of new cases during the quarter	19	00	00	00
	Total	**38**	00	00	00

टेबल–7 – पीडितो की आवासीय स्थिति –

1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 के पीडितो के आवास की स्थिति इस प्रकार से है

6	**Information on staying period of the Beneficiaries**					
	Duration of Stay	**0-3 months**	**4-6 months**	**7 - 12 months**	**13 - 18 months**	**More than 18 months**
	No. of Beneficiaries left the P&R Home during the quarter	173	07	08	00	03

नगरीय शिल्पकारो के सशक्तिकरण के लिये समूह

गठन:– संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा स्ववित्तिय संसाधनो से नगरीय क्षेत्र की नवोदित शिल्पी प्रतिभाओ को पहचान बनाने, शिल्प से जुडी हुई प्रतिभाओ के अवसर को बढावा देने, शिल्प से जुडी हुई प्रतिभाओ के सशक्तिकरण के लिये शासन की विभिन्न योजनाओ के लाभ दिलाने प्रतिभा को सामने लाने के लिए शिल्पकारो के समूह गठन हेतु सर्वे प्रारंम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत शिल्प विधा को समर्पित युवाओ और ऐसे शिल्पकार जो योजनाओ से लाभवंचित है के

सशक्तिकरण के लिये समूह गठन करने और उनके लिए चिन्हांकन सर्वे से कुल 200 मिश्रित शिल्पकारो का पता चला जो शिल्प के लिए समर्पित है और शासन की योजनाओ से अपरिचित है।

उपभोक्ता कल्याण हेतु जागरूकता संदेश का प्रसारः–

संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा स्ववित्तिय संसाधनो से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओ कल्याण एवं ग्रामीण उपभोक्ताओ मे जागरूकता के संदेश का प्रचार प्रसार कर्यक्रम किया गया।

संस्था के सामाजिक कार्यकर्ताओ ने जिला –मुगेली के ग्रामीण क्षेत्रो मे उत्पाद एवं उपभोक्ता वर्ग मे आंकलन और सर्वेक्षण किया गया जिससे यह बात उभर कर सामने आयी कि ग्रामीण क्षेत्रो मे अशिक्षा, अल्प शिक्षा, हीन भावना,उपभोक्ताओ मे एकता की कमी सामाजिक आर्थिक पिछडापन के कारण ग्रामीण जन गुणवत्ता के आधार पर सही उत्पाद का चयन करने मे असमर्थ, उत्पाद के मूल्यो के आंकलन मे असमर्थ, उत्पादन की तारीख और गुणवता समापन तारीख, ले पाने अथवा पढ पाने मे असमर्थ होते है। जिससे ग्रामीण उपभोक्ता लगभग ठगे जा रहे है। या यू कह ले कि ग्रामीण उपभोक्ताओ को एक लम्बे अरसे से उत्पाद खरीदने मे आर्थिक रूप से हानि उठा रहे है।

संस्था द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रामीण उपभोक्ताओ की जागरूकता बढाने तथा सही उत्पाद का चयन करने, उत्पाद के सही मूल्य का आंकलन करने, उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करने, उत्पाद के निर्माण और गुणवत्ता समाप्ति तिथि को पढने समझने के ज्ञान का प्रसार करने, उपभोक्ता जागरूकता का संदेश को पम्पलेट, ब्रोसर का वितरण किया गया।

शहरी युवाओ के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षणः–

संस्था द्वारा संचालित **ई टेक्नी आन प्रशिक्षण केन्द्र, कृष्णा काम्पलेक्स, पुराना स्टेट बैंक के पास, सरकण्डा बिलासपुर** मे नगरीय क्षेत्र के झुग्गी झोपडी बहुल बंधवापारा, सरकण्डा, चिंगराजपारा, जबडापारा, चाटीडीह, जोरापारा, अशोक नगर, डबरीपारा क्षेत्र मे रहने वाले गरीब परिवार के युवाओ को शासकिय अशासकिय एवं प्राईवेट सेक्टर मे कार्य करने स्वरोजगार स्थापना कर आय सृजन करने 30 दिवसीय निःशुल्क कम्प्यूटर बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ता आशीष पटेल एवं द्वारा संस्था द्वारा नगरीय क्षेत्र के झुग्गी झोपडी बहुल बंधवापारा, सरकण्डा, चिंगराजपारा, जबडापारा, चाटीडीह, जोरापारा, अशोक नगर, डबरीपारा नगरीय क्षेत्र मे आंकलन एवं सर्वे किया गया और निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिये आवेदन आमंत्रित किया गया।

नि;शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम मे इन युवाओ को कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी प्रदाय की गई। प्रशिक्षण के पहले माह मे कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर चालु और बन्द करने का तरीका, डेस्क टॉप, की बोर्ड, माउस, कम्प्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट के बारे मे विवरण सहित बताया गया। इसमे डॉस, विण्डो डेस्क टॉप, मॉनीटर आदि का परिचय एवं कार्य बताया गया।

इस नि;शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दुसरे माह मे इन युवाओ को कम्प्यूटर से क्या क्या कार्य किये जा सकते है। कम्प्यूटर का व्यवसायिक उपयोग कैसे करे। इसके अन्तर्गत फाईल फोल्डर, पेज मेकर, एक्सल, माईक्रोसाफ्ट आफिस कार्य तथा सम्बन्धित कोर्स पढाये गये।

इस नि;शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे माह मे इन युवाओ को कम्प्यूटर कोर्स मे टेली, डी. टी. पी., फोटो शॉप, इन्टरनेट कार्य के लिये कोर्स की कोचिंग किये गये।

अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक आयोजित इस प्रशिक्षण के प्रत्येक तिमाही मे 15 नवयुवक एवं 15 नवयुवतियो का चयन कर प्रशिक्षित किया। इस तरह से 120 युवाओ को प्रशिक्षित किया गया। जिसमे 60 नवयुवको और 60 नवयुवतियो का लाभान्वित किया गया। टेली कोर्स करने मे रूचि दिखाने वाले 30 नवयुवतियो 30 नवयुवको कुल 60 युवा इसी तरह से 25 युवाओ ने इन्टरनेट, 25 युवाओ ने डी. टी. पी., 10 युवा फोटो शॉप के लिये प्रशिक्षित किया गया।

वृद्वजन सर्वे एवं वृद्वजन आश्रय और पुनर्वास योजनाओ का प्रचार प्रसारः—

संस्था द्वारा स्ववित्तिय साधनो से जिला बिलासपुर के झुग्गी बहुल चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वसहायता समूह के सदस्यो से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और निराश्रित वृद्ध जन / परिवार विहिन वृद्ध जन /आश्रय विहिन वृद्ध जन / परिवार से बहिस्कृत, बेदखल किये गये पीडितो के सम्बन्ध मे जानकारी ली गई। उन सभी को बिलासपुर मे वृद्ध आश्रय एवं पुनर्वास गृह एवं उनमे मिलने वाली सूविधाएं, भोजन, दिनचर्या, डाक्टर की सूविधा सहित विधि सहायता की सूविधा की जानकारी दी गई।

संस्था की ओर से वृद्ध आश्रय एवं पुनर्वास गृह के लिये संस्था द्वारा नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा निराश्रित वृद्ध जन / परिवार विहिन वृद्ध जन /आश्रय विहिन

वृद्ध जन / परिवार से बहिस्कृत वृद्ध जन, बेदखल वृद्ध जन को वृद्ध आश्रय एवं पुनर्वास गृह मे दाखिला दिलाने के लिये नगरीय एवं ग्रामीण कार्यकर्ताओ से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं निराश्रित वृद्ध जन / परिवार विहिन वृद्ध जन /आश्रय विहिन वृद्ध जन / परिवार से बहिस्कृत वृद्ध जन, बेदखल वृद्ध जन के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

महिला सशक्तिकरण के लिए समूह गठन एवं प्रशिक्षणः– संस्था द्वारा स्ववित्तिय साधनो से जिला बिलासपुर के विकासखंड बिल्हा के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम–सिरगिट्टी बस्ती में 4 समूह का गठन, कडार एवं सेवार में 5 चकरभाठा में 2 तेलसरा –2, तोरवा, दयालबन्द एवं देवरीखुर्द से –12 स्व–सहायता समूह का गठन कराया गया। जिससे से पिछडा वर्ग से 8 समूह तथा अनुसूचितजन जाति वर्ग की महिलाओं के 7 समूह तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के 10 समूह बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र से 13 समूह एवं शहरी क्षेत्र 12 महिलाओं को सशक्त बनाने समूह गठान कराया गया।, इन महिला समूह को समाज एवं आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोडे जाने हेतु इन समूहों का गठन की प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी।

"स्वच्छ भारत अभियान" प्रचार प्रसार

संस्था की अध्यक्ष एवं रायगढ की प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता नरेश साहु, संतोष साहु कोषाध्यक्ष, विमला साहु सचिव एवं संस्था के सामाजिक कार्यकर्ताओ के सहयोग से संस्था द्वारा से एक दिवसीय स्व्च्छता जागरूकता शिविर का आयोजन रायगढ में किया गया।

सर्वप्रथम प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था के अध्यक्ष नरेश साहु द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित एवं श्रीफल तोड़कर कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात् प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था के अध्यक्ष. नरेश साहु ने विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि ''यह स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम व्यक्तिगत, परिवार

एवं समाज के लिये उपयोगी एवं आवश्यक है। आदि काल मे रचित वेद पुरान एवं सभी ग्रंथो मे स्वच्छता का महत्व बताया गया है। जहॉ स्वच्छता होती है वहॉ लक्ष्मी का वास होता है। स्वच्छता से स्वास्थ्य मिलता है व्यक्ति दीर्घायु होता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये आसंदी से संस्था सचिव द्वारा अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि ''आज के वर्तमान समय मे स्वच्छता परम आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता, घर एवं सार्वजनिक स्थलो की स्वच्छता आवश्यक है। हमारी आवश्यकता है।

"डिजिटल इण्डिया" प्रचार प्रसार कार्यक्रम

संस्था द्वारा संस्था की वेब साईट एवं ईमेल के माध्यम से वर्ष 2016–17 मे पूरे वर्ष भर "डिजिटल इण्डिया" कार्यक्रम का लगातार प्रचार प्रसार किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, ईमेल के माध्यम से पेटीएम, आधार लिंकेज, कम्प्यूटर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। लगभग 1000 ईमेल सम्पर्क, 100 ट्वीटर एवं 1000 वाट्सअप चालको से लगातार सम्पर्क एवं संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार मे भागीदारी की गई।

"स्वच्छ भारत अभियान" प्रचार प्रसार कार्यक्रम

संस्था द्वारा संस्था की वेब साईट एवं ईमेल के माध्यम से वर्ष 2016–17 मे पूरे वर्ष भर "स्वच्छ भारत अभियान" कार्यक्रम का लगातार प्रचार प्रसार किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, ईमेल के माध्यम से स्वच्छता संदेश, स्लोगन, प्रभावशाली संवादो के माध्यम से जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रो मे खुले मे शौच की रोकथाम, हर घर मे हो शौचालय, बहु बेटियो को खुले मे शौच के लिये ना भेजे, आदि संदेश मे माध्यम से लगभग 1000 ईमेल सम्पर्क एवं 1000 वाट्सअप चालको से लगातार सम्पर्क एवं संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार मे भागीदारी की गई।

"बेटी बचाओ बेटी पढाओ" प्रचार प्रसार कार्यक्रम

संस्था द्वारा संस्था की वेब साईट एवं ईमेल के माध्यम से वर्ष 2016–17 मे पूरे वर्ष भर "बेटी बचाओ बेटी पढाओ भारत अभियान" कार्यक्रम का लगातार प्रचार प्रसार किया गया।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत संस्था के समर्पित कार्यकर्ताओ द्वारा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप, ईमेल के माध्यम से "बेटी है तो कल है", "बेटी पढेगी तो दो दो कुल का नाम गढेगी," "बेटिया ने देश का नाम उंचा करने मे पीछे नही" "बेटियो ने हिमालय मे भी भारत का झण्डा फहराया" "बेटियो ने आंतरीक्ष मे भी भारत का झण्डा फहराया" " "बेटियॉ पढेगी तो देश बढेगा" संदेश, स्लोगन, प्रभावशाली संवादो के माध्यम से जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया गया। लगभग 1000 ईमेल सम्पर्क, 100 ट्वीटर एवं 1000 वाट्सअप चालको से लगातार सम्पर्क एवं संवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार मे भागीदारी की गई।

भारतीय परम्परा मे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारणो से पुरूष प्रधान समाज की संरचना है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव के कारणो महिलाओ को परिवार मे पुरूषो का नेतृत्व मे रहना पडता है, जिससे उन्हे परिवार मे पुरूषो अधीनस्थ स्थिति रही है। वंश की पहचान पुरूषो के नाम से जाना जाता रहा है। परिवार का नेतृत्व पितृसत्तात्मक है। विभिन्न चरणो मे देखा जाये तो पहले मे

पिता पर आश्रित दुसरे मे भाई पर आश्रित तीसरे मे पति पर आश्रित चौथे मे पुत्र पर निर्भरता एवं महिलाओ पर उनका नियंत्रण रहा है। पिता, भाई,पति, पुत्र के नियंत्रण और उन पर निर्भरता के कारण परिवार एवं समाज मे महिलाओ की स्थिति दर्शाता है। कन्या का विवाह कर दुसरे अपरिचित एवं अनजाने परिवार मे भेजना, उसके शारीरिक अखण्डता पर नियंत्रण ही महिलाओ के अधीनता का स्पष्ट प्रमाण है। परिवार मे पुरूषो की स्थिति महान होती है। परिवार के समस्त महत्वपूर्ण फैसले जैसे बच्चे का जन्म, प्रसव से पूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण के निर्णय भी पुरूषो द्वारा लिये जाते है जिससे कन्या भ्रुण हत्या को बढावा मिला। जो परिवार मे महिलाओ की मध्यम स्थिति के लिये जिम्मेदार है।

भारत मे पिछले 21 शताब्दी से पहले बाल लिंगानुपात मे भारी गिरावट दर्ज की गई। 21 वीं सदी के 1991 मे लिंगानुपात प्रति हजार 927 एवं 2001 प्रति हजार 933 दर्ज है। ग्रामीण बाल लिंगानुपात 900 एवं शहरी बाल लिंगानुपात 946 देखा गया है।

कन्या जन्म से ही परिवार के लिये बोझ मानी जाती रही है उसे पराया धन मान कर उसकी इच्छा जाने बिना उसे चूल्हा चौका और घर गृहस्थी के काम मे लगा दिया जाता है। शादी के लिये योग्य वर की तलाश, वर द्वारा वधू पक्ष की हैसियत से अधिक दहेज की मांग की चिंता, इन सब कारणो से बेटियो का बोझ माना जाने लगा। उसके जन्म से दहेज एवं शादी के भारी खर्च की चिंता मे पिता को चिंता मे डाल देता है।

समाज एवं परिवार मे परम्परागत कारणो से बेटियो को पराया धन माना जाता है जिससे बेटियो की शिक्षा को अनावश्यक और फिजुल खर्च के रूप मे माना जाता है। परिवार मे शिक्षा लिंग के आधार पर होता है। सामाजिक मान्यता के अनुसार बेटो को उसकी इच्छानुसार शिक्षा दिलाया जाता है पर बेटियो को उसकी इच्छा जाने बिना उसे चूल्हा चौका और घरेलू काम के लिये बाध्य किया जाता है। के बडे होने परिवार की जरूरत के अनुसार उनके शादी की तैयारी करने मे जुट जाते है। सामान्य परिवार आर्थिक स्थिति बालिका शिक्षा मे बाधा भी एक कारण है।

सामान्यतः देखा गया है कि अधिकांश परिवार कृषि एवं कृषि मजदूरी पर निर्भर होते है। कृषि के अलावा जीविकोपार्जन एवं अजिविका के स्थायी श्रोतो की तलाश मे परिवार के पुरूष सदस्यो को पलायन करना पडता है। पुरूष श्रम की कमी के कारण घर मे महिलाओ एवं बच्चो को खाना पकाने के अलावा कृषि कार्य, वनोपज संग्रहण, छोटे बच्चो की देखरेख, पालतू जानवरो की देखभाल एवं घरेलू कामकाज मे भागीदारी निभानी पडती है। कृषि कैलेण्डर मे धान उत्पादन मे महिलाओ की भूमिका दर्शाता है। लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रो मे खेत की जोताई एवं बीजा बोने एवं रोपण का कार्य पुरूषो द्वारा किया जाता है आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार की महिलाएं को छोड दे तो यह माना जाता है कि उसके बाद के समस्त कार्य महिलाओ द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। आर्थिक रूप से गरीब परिवार की महिलाओ को स्वयं के भूमि के अलावा दुसरो के भूमि पर भी मजदूरी करना पडता है।

इन सब क्रिया कलापो के बाद भी समाज मे महिलाओ की भूमिका मध्यम दर्जे की रही है। महिलाओ द्वारा परिवार चलाने मे बडी महत्वपूर्ण भागीदारी के बाद भी कन्या जन्म को व्यक्ति बोझ

समझकर गर्भस्थ बच्चे का लिंग परीक्षण करवाता है और कन्या भ्रूण की पहचान होने पर उसका परहेज करता है। जो लैंगिक भेदभाव का स्पष्ट प्रमाण है।

मानव तस्करी की रोकथाम के लिये जागरूकता कार्यक्रमः—

परियोजना **1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017** तक संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ताओ द्वारा बिलासपुर नगर मे यौन व्यवसाय के चिन्हित क्षेत्र **नगरीय क्षेत्रो** मे ताला पारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, चाटीडीह, बंधवापारा, सरकण्डा, हेमु नगर, रेलवे स्टेशन, मालधक्का, व्यापार विहार, जरहाभाठा एवं **ग्रामीण क्षेत्रो** तिफरा, छतौना, चकरभाठा, हिर्री, सरगांव, उस्लापुर, सकरी, लालखदान, ढेका, मस्तुरी, मे आंकलन का कार्य प्रारंम्भ किया गया। इन क्षेत्रो मे चाय वाला, पानवाला, फलवाला, होटल वाला, स्थानीय महिला सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वसहायता समूह के सदस्यो से सम्पर्क एवं संवाद किया गया और तस्करी से पीडितो के सम्बन्ध मे जानकारी ली गई। उन सभी को बिलासपुर मे उज्जवला सुरक्षात्मक महिला पुनर्वास गृह की संचालन की जानकारी दी गई।

संस्था की ओर से उज्जवला परियोजना के अन्तर्गत रोक एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिये नियुक्त किये गये सेवाभावी कार्यकर्ताओ के द्वारा हितग्राहियो /पीडितो को दाखिला दिलाने के लिये नगरीय थाना मे थाना—सरकण्डा, थाना— सिविल लाईन, महिला थाना, थाना— तोरवा, थाना—तारबहार, सहित नगर सीमा के बाहरी थाना मे थाना— कोनी, थाना— चकरभाठा, थाना— सिरगिट्टी, थाना— सीपत, थाना— मस्तुरी, थाना— हिर्री एवं थाना— तखतपुर, थाना— कोटा, थाना— रतनपुर, थाना— गौरेला पेण्ड्रा, सहित निकटतम जिला के थाना— मुंगेली, थाना— लोरमी, थाना— पामगढ, थाना—जांजगीर चांपा के थाना प्रभारीयो से सत्त सम्पर्क बनाये रखा गया। चिन्हित एवं हितग्राहियो /पीडितो के होने की संभावना वाले क्षेंत्रो मे नागरिको से संवाद एवं सम्पर्क बनाये रखा गया।

President
Shiv Mangal Sikshan Samiti
D/3 Songanga Colony
Seepat Road, Bilaspur (C.G.)